

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार।
आरोपी राजू जाटव पूर्व से अनुपस्थित।
प्रकरण आज आरोपी राजू की अनुपस्थिति पर विचार हेतु नियत है।

आरोपी राजू जाटव की उपस्थिति के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट अदम् तामील फरारी पंचनामा सहित इस टीप के साथ दिनांक : 27/02/2017 को वापस प्राप्त हुये थे कि “उसके निवास का कोई निश्चित स्थान नहीं है और दिये गये पता पर वह नहीं मिला”।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि दिनांक : 23/05/2015 को आरोपी राजू के विरुद्ध उसकी अनुपस्थिति में अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, तब से लेकर अब तक निरन्तर आरोपी राजू की उपस्थिति के लिए आदेशिकाएं जारी की जा रही है, परन्तु आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी है। इस वावत् वारंट निष्पादनकर्ता एवं फरारी पंचनामा लेखबद्ध करने वाले थाना मालनपुर के प्रधान आरक्षक क्रमांक 262 कल्याण सिंह की फरारी साक्ष्य अंकित की गई।

दिनांक : 23/05/2015 से आरोपी राजू की निरन्तर अनुपस्थिति, गिरफ्तारी वारंट पर अंकित टीप, फरारी पंचनामा के तथ्यों एवं प्रधान आरक्षक कल्याण सिंह की फरारी साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि यह विश्वास करने का कारण है कि उपरोक्त आरोपी राजू जाटव फरार हो गया है या अपने को छिपा रहे है, जिससे ऐसे गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सके। प्रधान आरक्षक क्रमांक 262 कल्याण सिंह द्वारा उसके फरारी साक्ष्य में यह दर्शित किया गया है कि “उक्त आरोपी के निकट भविष्य में मिलने की संभावना नहीं है।

उपरोक्त विश्लेषण से यह प्रकट होता है कि आरोपी राजू जाटव अपनी उपस्थिति छुपाने के लिए फरार हो गया है और उनके निकट भविष्य में मिलने की कोई संभावना नहीं है। ऐसी दशा में प्रकरण में आरोपी राजू की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए स्थाई वारंट जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः आरोपी राजू जाटव की उपस्थिति के स्थाई वारंट जारी किया जाये।

प्रकरण आरोपी राजू जाटव के उपस्थित होने तक अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

अभिलेख पर लाल स्याही से यह टीप अंकित कि जाये कि प्रकरण में आरोपी राजू फरार है, इसलिए अभिलेख सुरक्षित रखा जाये।

जे.एम.एफ.सी.,गोहद